राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

(जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी, सी–स्कीम, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर)

क्रमांकः एफ.15(ग)/पीडी/डीएलबी/इ.र.यो./निरीक्षण/20/1225 दिनांकः 2/8/2022

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/नगरपरिषद/नगरपालिका
समस्त राजस्थान।

विषयः– इन्दिरा रसोईयों में समुचित व्यवस्था के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश में संचालित फ्लैगशिप योजनाओं का मुख्यमंत्री सेवा प्रदायगी प्रकोष्ठ (Chief Minister's Service Delivery Cell) की टीम द्वारा समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण कर निरीक्षण रिपोर्ट सीधे ही मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की जा रही है, जिसके तहत् इन्दिरा रसोईयों का भी टीम द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री सेवा प्रदायगी प्रकोष्ठ (Chief Minister's Service Delivery Cell) की टीम द्वारा दिनांक 15.07.2022 को नगरपरिषद अलवर में संचालित रसोई संख्या 109 का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में अत्यधिक अव्यवस्थाऐं पायी गई यथा रसोई में साफ–सफाई नहीं होना, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होना, रसोई में फ्लैक्स/बोर्ड नहीं लगे होना, लाभार्थियों को भोजन थाली में अचार नहीं देना, लाभार्थियों के हाथ धोने हेतु वाश बेसिन पर लिक्विड शोप/साबुन नहीं होना तथा झूठे बर्तन साफ करने की अलग से व्यवस्था नहीं होना आदि कमियां पाये जाने पर रसोई संचालक संस्था मणि सिंह सेवा सोसाइटी अलवर को रसोई संचालन में लापरवाही मानते हुए संस्था का अनुबन्ध निरस्त किया गया, साथ ही आयुक्त नगर परिषद अलवर को कारण बताओ नोटिस दिया गया।

उक्त के सम्बन्ध में आप सभी से आग्रह है कि इन्दिरा रसोई योजना राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है, जिसका सुचारू एवं पारदर्शी संचालन हेतु पूर्व में जारी सभी निर्देशों के क्रम में इन्दिरा रसोईयों में निम्नानुसार व्यवस्थाओं की सुनिश्चिता की जावे।

1. रसोईयों में भोजन मैन्यू के अनुसार उपलब्ध कराया जावे, भोजन थाली में मैन्यू के अनुरूप अचार आवश्यक रूप से दिया जावे।
2. भोजन की गुणवत्ता अच्छी हो कि सुनिश्चिता की जावे।
3. इन्दिरा रसोईयों में साफ–सफाई अच्छी तरह से होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की गंदगी पाये जाने पर कार्यवाही की जाएगी।
4. लाभार्थियों को हाथ धोने एवं पानी पीने की समुचित व्यवस्था हो।
5. लाभार्थियों के हाथ धोने हेतु वाश बेसिन पर लिक्विड सोप/साबुन रखा जावे।
6. रसोई के अवशेष/झूठन हेतु डस्टबिन रखा जावे एवं रसोई के बर्तन साफ सुथरे होने चाहिए।
7. रसोई में झूठे बर्तन धोने हेतु अलग से स्थान होना चाहिए।
8. रसोई में पानी पीने के लिए लाभार्थियों को गिलास उपलब्ध कराये जावे।
9. इन्दिरा रसोई में निम्नानुसार बोर्ड लगाये जावे :–
   - साप्ताहिक भोजन मैन्यू का बोर्ड।
   - शिकायत एवं सुझाव हेतु टोल फ्री नम्बर का बोर्ड।
   - स्थानीय निकाय एवं प्रभारी अधिकारी के मोबाईल नम्बर का बोर्ड।
   - निःशुल्क भोजन प्रायोजककर्ता का बोर्ड।
10. रसोई को सौंदर्यकृत बनाया जावे जिसमें योजना का लॉगो, फ्लैक्स/बोर्ड, स्लोगन एवं स्थानीय कलाकृतियां, तथा गमले रखे जावे।

11.लाभार्थियों की फोटो स्पष्ट खींची जावे जिसमें लाभार्थी के फोटो के पीछे रसोई संख्या, दिनांक व लंच/डीनर का फ्लैक्स/बोर्ड स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।

12.रसोईयों पर निरीक्षण रजिस्टर तथा ऑफलाईन कूपन जारी करने का रजिस्टर संधारित किया जावे। दोनो रजिस्टर नगर निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी या प्रभारी अधिकारी (इन्दिरा रसोई योजना) से प्रमाणित होने चाहिए।

13.इन्दिरा रसोई पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड की जाने वाली भोजन थाली में दिनांक व लंच/डीनर की पर्ची आवश्यक रूप से रखी जाने हेतु रसोई संचालकों को पाबन्द करें तथा प्रतिदिन की लंच/डीनर की थाली अलग–अलग अपलोड करनी की सुनिश्चिता की जावे।

14.इन्दिरा रसोई पोर्टल पर लाभार्थियों के मोबाईल नम्बर सही व अधिक से अधिक अंकित कराये जावे।

उपरोक्तानुसार रसोईयों में व्यवस्थाऐं नहीं पाये जाने पर राजकीय कार्य में लापरवाही एवं पर्यवेक्षणीय का अभाव मानते हुए सम्बन्धित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी के विरूद्ध 17 सीसी के तहत् कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी, जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेदार होगे।

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ.15(ग)/पीडी/डीएलबी/इ.र.यो./निरीक्षण/20/ 1226-30 दिनांकः 2/8/2022

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर एवं पदेन अध्यक्ष जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति (इ.र.यो.) समस्त राजस्थान।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
5. रक्षित पत्रावली।

(नरेश कुमार गोयल)
स्टेट नोडल अधिकारी